

## कृषि मंत्रालय

## मांग संख्या 2

## कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		(करोड़ रुपए)								
मुख्य शीर्ष		बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		629.55	775.00	1404.55	550.00	775.00	1325.00	684.00	705.05	1389.05
पूंजी		-	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़		<b>629.55</b>	<b>775.00</b>	<b>1404.55</b>	<b>550.00</b>	<b>775.00</b>	<b>1325.00</b>	<b>684.00</b>	<b>705.05</b>	<b>1389.05</b>
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	-	0.98	0.98	-	0.92	0.92	-	1.00	1.00
<b>भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को कृषि अनुसंधान और शिक्षा संबंधी अदायगियां</b>										
2. फसल कार्य										
2.01 कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों की अदायगियां	2415	-	5.00	5.00	-	9.60	9.60	-	40.00	40.00
2.02 फसल कार्य के अन्य कार्यक्रम	2415	473.05	658.63	1131.68	405.11	654.07	1059.18	513.00	542.99	1055.99
<b>जोड़-फसल कार्य</b>		<b>473.05</b>	<b>663.63</b>	<b>1136.68</b>	<b>405.11</b>	<b>663.67</b>	<b>1068.78</b>	<b>513.00</b>	<b>582.99</b>	<b>1095.99</b>
3. भू और जल संरक्षण	2415	2.90	6.10	9.00	2.90	6.10	9.00	3.58	6.70	10.28
4. पशु पालन	2415	45.10	41.31	86.41	44.64	41.31	85.95	49.60	45.44	95.04
5. डेरी विकास	2415	6.90	20.22	27.12	6.90	20.22	27.12	7.00	22.24	29.24
6. मत्स्य उद्योग	2415	27.00	27.60	54.60	25.34	27.60	52.94	30.00	30.36	60.36
7. वानिकी	2415	11.00	11.43	22.43	9.61	11.43	21.04	11.82	12.57	24.39
8. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के हितों के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एक मुश्त प्रावधान	2552	63.00	-	63.00	55.00	-	55.00	68.40	-	68.40
<b>जोड़-भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अदायगियां</b>		<b>628.95</b>	<b>770.29</b>	<b>1399.24</b>	<b>549.50</b>	<b>770.33</b>	<b>1319.83</b>	<b>683.40</b>	<b>700.30</b>	<b>1383.70</b>
9. राष्ट्रमण्डल कृषि ब्यूरो, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संबंधी सलाहकार समूह तथा एशिया प्रशान्त कृषि अनुसंधान संस्थान संघ को अंशदान	2415	0.60	3.73	4.33	0.50	3.75	4.25	0.60	3.75	4.35
<b>जोड़-कृषि अनुसंधान और शिक्षा कुल जोड़</b>		<b>629.55</b>	<b>774.02</b>	<b>1403.57</b>	<b>550.00</b>	<b>774.08</b>	<b>1324.08</b>	<b>684.00</b>	<b>704.05</b>	<b>1388.05</b>
		<b>629.55</b>	<b>775.00</b>	<b>1404.55</b>	<b>550.00</b>	<b>775.00</b>	<b>1325.00</b>	<b>684.00</b>	<b>705.05</b>	<b>1389.05</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. कृषि अनुसंधान और शिक्षा	12415	629.55	-	629.55	550.00	-	550.00	684.00	-	684.00
	जोड़	629.55	-	629.55	550.00	-	550.00	684.00	-	684.00

इस मांग में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिवालय के व्यय के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इसके नियंत्रणाधीन विभिन्न अनुसंधान संस्थानों तथा इसकी अनेक अनुसंधान परियोजनाओं, स्कीमों और क्रियाकलापों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के संबंध में सहायता अनुदान की अदायगी शामिल है। इस भाग में भारतीय कृषि एवं

अनुसंधान परिषद् को कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत उपकर की निवल प्राप्तियों की अदायगी भी शामिल है। यह परिषद कृषि, भू और जल-संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, डेरी उद्योग, वानिकी और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुसंधान कार्य करने में लगी है।